रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

परिपत्र

सतर्कता प्रभाग के दिनांक 12.05.2005 और 14.02.2006 के परिपत्रों को देखें, जिनमें यह अनुरोध किया गया था कि सभी प्रभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि मदर फाइल इंडैक्स रजिस्टर का पता लगाना चाहिए और सभी फाइलों की, चाहे वे प्रचालन में हैं अथवा प्रचालन में नहीं हैं, मदर फाइल इंडैक्स रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए। सतर्कता प्रभाग द्वारा निरीक्षणों के दौरान, यह पाया गया है कि परियोजना कार्यालयों और कारपोरेट कार्यालय के प्रभागों ने इस संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की है ।

यह सूचित किया गया है कि सतर्कता दल/आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा फाइलें/रिकार्ड मांगे जाने पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा उसमें विलम्ब किया जाता है तथा सतर्कता प्रभाग/आंतरिक लेखापरीक्षा दल को रिकार्ड उपलब्ध न कराए जाने के कारण जांच रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है अथवा अपूर्ण रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं ।

कारपोरेट कार्यालय के सभी प्रभागाध्यक्षों और आंचलिक प्रबंधकों/मुख्य परियोजना प्रबंधकों/अपर निदेशक, सायर से अनुरोध है कि फाइल पद्धति को प्राथमिकता के आधार पर सुव्यवस्थित करें तथा एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

ह./-
(अरूण कुमार)
मुख्य सतर्कता अधिकारी
दिनांक 03.05.2005

सं. आरईसी/सतर्कता/II(214)/99/02

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्यालय में सभी प्रभागाध्यक्ष
2. सभी आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक/अपर निदेशक, सायर
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनिकी) के सहायक प्रबंधक/ अधिकारी